

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2555] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937 No. 2555] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

#### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

का.आ. 3236(अ).—िनम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

#### प्रारूप अधिसूचना

लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य असम के क्रमश: नागांव और सोनितपुर जिलों में अक्षांश 26º28' उ. से 26º33' उ. के बीच तथा देशान्तर 92º35' पू. से 92º47' पू. के बीच क्रमश: 70.10 वर्ग किलोमीटर और 44.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व के सुरक्षित क्षेत्रों को इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है |

5001 GI/2015 (1)

और लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के सुरक्षित क्षेत्रों को दक्षिणी सीमा (सुतीरपर-गराजन-लाखोवा कस्ब ) पर 26º 29' 54" उ. और 92º33'17" पूर्व से 26º 33'13" उ. और 92º47'45" पू. तक 1.86 कि.मी. और उत्तरी सीमा (ब्रहमापुत्र नदी) पर 26º33'13" उत्तर और 92º47'45" पूर्व से 26º 29' 54" उ. और 92º33'17" पू. तक 7.14 किलोमीटर तक क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.86 किलोमीटर से 7.14 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं** (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.86 किलोमीटर से 7.14 किलोमीटर तक विस्तारित 263.33 वर्ग किलोमीटर का उपांत क्षेत्र होगा |
- (2) लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध** I पर उपाबद्ध है |
- (3) लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य भौगोलिक पोजिशनिंग प्रणाली के निदेशांक और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन अक्षांश व देशान्तर के साथ **उपाबंध 1क** पर है |
  - (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र निर्देशांकों के साथ **उपाबंध** ॥ पर है |
  - (5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध** III पर उपाबद्ध है |
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
  - (2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
  - (i) पर्यावरण ;
  - (ii) वन ;
  - (iii) नगर विकास :
  - (iv) पर्यटन :

- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) असम राज्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (ix) सिंचाई
- (x) लोक निर्माण विभाग
- (5) आंचिलक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचिलक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी ।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचिलक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।
- राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-
- (1) **भू-उपयोग** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी सिमिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन सूचीबद्ध क्रम संख्या 11,21,30,31 और 32 के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात:-

- (i) पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग हेतु पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए तम्बू, काष्ठ गृह आदि जैसे पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) **प्राकृतिक स्रोत** सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति मे मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।
  - (ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।
  - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
    - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्र सरकार के, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा;
    - (ii) लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के नए सिन्नर्माण की अनुज्ञा पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाए नहीं दी जाएगी;

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन तक नए होटलों और रिसार्टों को स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए दी जाएगी।

- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या असम राज्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
  - (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
    - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
    - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
    - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
    - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है । मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

#### (12) औद्योगिक इकाईयां -

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी ।
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध वि	क्रेयाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल)
		सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के
		मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का
		435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख
		21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नए वृहत तापीय और जल-विद्युतीय परियोजना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	मछली पकड़ना	बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य (ब्रहमपुत्र नदी में) की उत्तरी सीमा से
		1000 मीटर तक कोई भी मछली पकड़ने संबंधी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं होगी
10.	यंत्रित नाव को चलाना	पीएस की सीमा से 1000 मीटर के भीतर कोई वाणिज्यिक यंत्रित नाव नहीं चलाई जाएगी । संबद्ध प्राधिकारी द्वारा नियमित मानीटर के साथ केवल रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक यंत्रित नाव को ही पीएस की सीमा से 1000 से 6000 मीटर के भीतर चलाने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए
विनियमित	क्रियाकलाप	
11.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी

12.	सन्निर्माण क्रियाकलाप	अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी   लेकिन एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितकीय संवेदी जोन की सीमा तक; सभी नए पर्यटन संबंधी कार्यकलाप अथवा मौजूदा, कार्यकलापों के विस्तारण पर्यटन महायोगना के अनुसार होंगे    (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सिन्नमाण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी   परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिहत अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सिन्नमाण करने की अनुज्ञा दी जाएगी   परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सिन्नमाण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा   (ख) इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी के जोन के विस्तार तक से एक किलोमीटर परे वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सिन्नमाण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य सिन्नमाण क्रियाकलापों का विनियमन आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जाएगा
13.	खाई का मैदान	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है   पुराने खाई
14.	प्लास्टिक बैग का उपयोग	के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं   लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
111		
15.	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	ध्वनि प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
17.	भू-जल उत्कर्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
20.	विद्युत लाइनों का पृथक्करण	भूमिगत केबलों का प्रोन्नयन   पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर से गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से पृथक्कृत किया जाएगा
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	बाड लगाना	
23.	साइन बोर्ड और होर्डिंग्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे

24. रात्रि में यानिक यातायात का संचलन लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुग लिए विनियमित होंगे।	गार वाणिज्यिक वाहनी के
25 कृषि प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।	
25.   कृषि प्रणाला म मूलभूत परिवतन   लागू विधियों के अधीन विनियमित होगे	
26. प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें भूजल संचयन भी है का वाणिज्यिक उपयोग (क) सतही जल और भू जल का निष्कर्षण केवल भू कृषि संबंधी उपयोग और घरेलू उपभोग के लिए अ (ख) औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु परिणाम सहित सतही जल और भू जल के निष्कर्ष प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुमित प्राप्त करनी अपे (ग) सतही जल अथवा भू जल की कोई बिक्री अनुम	नुमत होगा। निष्कर्षण किए जाने के ग हेतु संबंधित विनियामक क्षित होगी। त नहीं होगी।
(घ) कृषि सहित किसी अन्य स्रोत से पानी के उ रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे ।	
रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे ।	
रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे । संवर्धित क्रियाकलाप	
रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे ।  संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
संवर्धित क्रियाकलाप  27  स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन,	
रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे ।    संवर्धित क्रियाकलाप	
रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे।  संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।	
रोकथाम हेतु कदम उठाए जाएंगे।  संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए। बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन	
संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।  बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।  29. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।	रेसंकटमय, लघु और सेवा
संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और वागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।  29. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना  30. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर पर्	. 9
संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सिक्रय रूप से बढावा दिया जाए।  29. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना  30. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर पर्व उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित	देशीय माल से औद्योगिक
संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।  29. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना  30. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर पर्व उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर	देशीय माल से औद्योगिक
संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सिक्रय रूप से बढावा दिया जाए।  29. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना  30. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर पर्व उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित	देशीय माल से औद्योगिक
संवर्धित क्रियाकलाप  27 स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और वागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन  28. जैव उर्वरक के उपयोग सहित जैविक खेती सिक्रय रूप से बढावा दिया जाए।  29. सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना  30. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर पर्य उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर डालते हैं।	देशीय माल से औद्योगिक

# **5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	आयुक्त, नाड	अध्यक्ष
2.	निदेशक, काजीरंगा टाइगर रिजर्व	सदस्य
3.	जिला कलक्टर, सोनितपुर	सदस्य
4.	जिला कलक्टर, नागांव	सदस्य
5.	जिला वन अधिकारी, सोनितपुर वेस्ट डिवीजन	सदस्य
6.	उद्योग विभाग, असम सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	कृषि विभाग, असम सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	मतस्य विभाग, असम सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	अध्यक्ष/सदस्य-सचिव, एलबीसीएस	सदस्य
11.	पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर और नागांव	सदस्य

- 12. (पर्यावरण, जिसमें विरासत संरक्षण भी सम्मिलित है के क्षेत्र में में कार्य करने सदस्य वाले) गैर सरकारी संगठन का राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि
- 13. पारिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन सदस्य का राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि
- 14. संभागीय वन अधिकारी, नागांव वन्यजीव संभाग

सदस्य सचिव

#### 6 निर्देश शर्ते -

- (1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलत क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।
- 7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/110/2015ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी चान्दनी, वैज्ञानिक जी'

#### उपाबंध - ।

#### लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन, 26º28' अक्षांश से 26º-33'उ. उत्तरी अक्षांश और 92º35' पूर्व से 92º47' पूर्वी देशांतर रेखांश के बीच असम के नागांव और सोनितपुर में स्थित लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्यों के सुरक्षित क्षेत्र की दक्षिणी सीमा (सुतीरपुर-गराजन-लाखोवा कस्बा) पर 26º29'54" और 92º33'17" पूर्व से 26º33'13" उ. और 92º47'45" पूर्व तक 1.86 किलोमीटर और उत्तरी सीमा (ब्रह्मापुत्र नदी) पर 26º33'13" उत्तर और 92º47'45" पूर्व से 26º 29' 54" उ. और 92º33'17" पू. तक 7.14 किलोमीटर का क्षेत्र है।

पारिस्थितकी संवेदी जोन का मानचित्र अनुबंध-II पर है और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्यों के सुरक्षित क्षेत्र के दक्षिणी सीमा (सुतीरपुर-गराजन-लाखोवा कस्बा) पर 26º29'54"उ. और 92º33'17" पूर्व से 26º33'13" उ. और 92º47'45" पूवर् तक 1.86 किलोमीटर और उत्तरी सीमा (ब्रह्मापुत्र नदी) पर 26º33'13" उत्तर और 92º47'45" पूर्व से 26º 29' 54" उ. और 92º33;17" पू. तक 7.14 किलोमीटर के भीतर आ रहे गांवों की सूची निम्नवत है:

बोगामुख सं. 7, बोगामुख सं.6, बोगामुख सं. 5, बोगामुख सं. 4, बोगामुख सं.3, बोगामुख सं. 2, बोगामुख सं. 1, भूरबांधा सं. 4, भूरबांधा सं.3, भूरबांधा सं.2, भूरबांधा सं.1, भूरबांधा बाजार, निजलाँखोवा, लाखोवा टी.वी., दिखन बेल्गुरी, हिरिभांगा, बरूनगुरी टी.वी. लैलुरी, पब लरीमुख, करोईगुईर, पब सल्पारा, सल्पारा सिगीमारी एफवी, पश्चिम सलपारा, पश्चिम सिंगीमारी, पब सिंगमारी, काचाखैती, कालाडोबा, लांगिया, उद्यानतोला, कन्डुलीमारी, चेनीमारी बिल एनसी, चितलमारी पत्थर, चितलमारी बिल, चेनीमारी बिल, जहाजन, सुतीरपार, बोरालीमारी, पुरानीअती, हल्दीया सूती टीवी, धींगाबारी छापरी, धींग बारी पत्थर, ललूंग गांव, ललूंग गांव टीवी, कालिआडिंगा, कालियाडिंगा टीवी, कालिया डिंगा पाम, कचारीगांव, कसारीगांव, गोदाईमारी पत्थर, महेरीपार, पश्चिम फोतलजार, पब-फातेलजार, पब-अमराकांडा, पश्चिम अमराकांडा, सनसहर टीवी, नलकटा टीवी, हाथीपुखुरी, कंचनपुर, नांगलधोवा, गोराजन, धिनया, झावोनी, शिशुवती, जहाजघाट छापोरी, जहाज टापू, बिलाल टापू, पियाज टापू, लांके टापू, संध्या टापू, कोरीओनी टापू, मजरबली टापू, खेसरी टापू, गणेश टापू, रफीक छापोरी, कोचमारा छोपारी।

<u>उपाबंध - I क</u>

लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य का सीमा विवरण जीपीएस निर्देशांकों के संदर्भ में लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	जीपीएस	अक्षांश	देशांतर
1	<u> ਪ੍ਰ</u> ੰ01	92° 35.564' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 30.782'</b> ਤੂ.
2	र्पू 02	92° 38.463' र्पू	<b>26° 32.026'</b> ਤੂ.
3	र्पू 03	92° 41.005' र्पू	<b>26° 33.725'</b> ਤ੍ਰ.
4	र्पू 04	92° 46.156' र्पू	<b>26° 33.433'</b> ਤ੍ਰ.
5	र्पू 05	92° 44.160' र्पू	<b>26° 30.504'</b> ਤ੍ਰ.
6	र्पू 06	92° 47.051' र्पू	<b>26° 32.298'</b> ਤ੍ਰ.
7	र्पू 07	<b>92° 47.128'</b> र्पू	<b>26° 30.405'</b> ਤ੍ਰ.
8	र्पू 08	92° 45.123' र्पू	<b>26° 28.624'</b> ਤੂ.
9	र्पू 09	92° 41.453' र्पू	<b>26° 28.842'</b> ਤ੍ਰ.
10	र्पू 10	92° 39.084' र्पू	<b>26° 28.628'</b> ਤੂ.


11	र्पू 11	92° 37.945' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 30.204'</b> ਤੂ.
12	र्पू 12	92° 39.731' र्पू	<b>26° 31.450'</b> ਤ੍ਹ.
13	र्पू 13	92° 37.774' र्पू	<b>26° 31.373'</b> ਤੂ.

लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय-संवेदी जोन की सीमा के बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं	जीपीएस	अक्षांश	देशांतर
1	र्पू 01	92° 31.955' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 30.336'</b> ਤ੍ਰ.
2	र्पू 02	92° 35.881' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 34.539</b> ' ਤ੍ਰ.
3	र्पू 03	92° 42.761' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 36.644</b> ' ਤੂ.
4	र्पू 04	92° 49.774' र्पू	<b>26° 34.601'</b> ਤੂ.
5	र्पू 05	92° 48.230' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 30.961'</b> ਤੂ.
6	र्पू 06	92° 46.017' ਧ੍ਰੰ	<b>26° 27.641'</b> ਤੂ.
7	र्पू 07	92° 40.646' र्पू	<b>26° 27.936'</b> ਤੂ.
8	र्पू 08	92° 36.934' र्पू	<b>26° 28.587'</b> ਤੂ.
9	र्पू 09	<b>92° 34.248'</b> र्पू	<b>26° 29.961'</b> ਤੂ.

#### <u>उपाबंध ॥</u>

लाखोवा और बरद्राचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का माचित्र अक्षांशों और देशान्तरों के साथ



12

#### <u>उपाबंध III</u>

### लाखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंदर आने वाले गांवों और नदी द्वीप समूहों का ब्यौरा

#### गांवों की सूची और उनका ब्यौरा

	T			-	मार उनका ञ्यारा		1		
क्रम सं∙	गांव का नाम	मंडल	जिला	गांव का प्रकार	प्रमुख समुदाय	कुल परिवार	कुल पुरूष	कुल महिलाएं	कुल जनसंख्या
1	बोगमुख सं.7	समागुरी	नागांव	राजस्व	मुस्लिम	320	995	945	1940
2	बोगमुख सं.6	-वही-	-बही-	राजस्व	मुस्लिम	198	655	598	1253
3	बोगामुख सं.5	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	111	370	366	736
4	बोगामुख सं.4	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	159	531	498	1029
5	बोगामुख सं.3	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	4	13	14	27
6	बोगामुख सं.2	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	74	197	201	398
7	बोगामुख सं. <b>1</b>	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	88	299	248	547
8	भूरबांधा सं.1	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	353	1055	994	2049
9	भूरबांधा सं.2	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	177	518	476	994
10	भूरबांधा सं.3	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	256	825	717	1542
11	भूरबांधा सं.4	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	206	729	658	1387
12	भूरबांधा बाजार			राजस्व		39	106	94	200
13	निजलॉखोवा	-वही-	-वही-	राजस्व	बंगाली हिंदु	419	1174	1112	2286
14	लाखोवा टीवी	-बही-	-वही-	पन गांव	बोडो <b>/</b> ललुंग	85	437	-	-
15	दखिन बेल्गुरी	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम और बंगाली हिंदु	314	890	850	1740
16	हरिभांगा	-वही-	-वही-	राजस्व	बंगाली हिंदु	209	600	517	1117
17	बरूनगुरी टीवी	-वही-	-वही-	टोंगिया गांव	बोडो <b>/</b> ललुंग	42	175	-	-
18	पब लरीमुखक	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	492	1543	1381	2924
19	रोईगुईर	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	588	1646	1610	3256
20	पब सल्पारा	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	279	849	761	1610
21	सल्पारा सिंगीमारी टीवी	-वही-	-वही-	राजस्व	बोडो <i>I</i> ललुंग	185	968	-	-
22	पश्चिम सल्पारा	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	468	1300	1259	2559
23	पश्चिम सिंगीमारी	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	788	2198	2058	4256
24	पब सिंगीमारी	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	628	1718	1649	3367
25	काचाखैती	-वही-	-बही-	राजस्व	मुस्लिम और बंगाली हिंदु	402	1182	1166	2348
26	चूनीमारी बिल एनसी	रूपाही	रूपाही	राजस्व	मुस्लिम	138	636	613	1249
27	चितलमारी बिल एनसी	-बही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	236	1480	784	696

28	चितलमारी पत्थर	-बही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	401	1468	1435	2903
29	चितलमारी बिल	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	268	925	835	1760
30	चूनीमारी बिल	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	266	928	869	1797
31	जहाजन	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	268	876	829	1705
32	सुतीरपार	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	247	888	787	1675
33	हल्दीया सूती टीवी	-वही-	-वही-	टोंगिया गांव	बोडो <b>/</b> ललुंग	65	438	-	-
34	धींगाबोरी छापोरी	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	638	1973	1875	3847
35	धींगाबोरी पत्थर	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	339	980	941	1921
36	ललूंग गरंप	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	662	2039	1888	3927
37	ललूंग गांव टीवी	-वही-	-वही-	टोंगिया गांव	ललुंग	67	336	-	-
38	कालिआडिंगा	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	682	2030	1895	<b>39</b> 25
39	कालियाडिंगा टीवी	-वही-	-वही-	टोंगिया गांव	बोडो <b>/</b> ललुंग	55	272	-	-
40	कालियाडिंगा पाम	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	407	1182	1143	2325
41	कचारीगांव	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	313	920	857	1777
42	कसारी गांव	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	769	2227	2045	4272
43	गोदाईमारी गांव	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	396	1175	1082	2257
44	महेरीपार	-बही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	880	2672	2499	5171
45	पश्चिम फोतलजार	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	442	1290	1260	2550
46	पब-फातेलजार	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	868	2711	2643	5354
47	पश्चिम अमराकांडा	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	409	1148	<b>10</b> 70	2218
48	पब अमराकांडा	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	431	1322	1229	2551
49	सनसहर टीवी	-वही-	-वही-	टोंगिया गांव	बोडो	48	326	-	-
50	नलकटाटीवी	-वही-	-वही-	टोंगिया गांव	बोडो	47	280	-	-
51	तेलिया चापोरी टापू	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	304	922	932	1854
52	हाथीपुखुरी	-वही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम	618	1806	1732	3538
53	कंचनपुर	-बही-	-वही-	राजस्व	मुस्लिम और बंगाली जिंद	528	1320	1473	2793
54	नांगलधोवा	-वही-	-वही-	राजस्व	हिंदु मुस्लिम	577	1741	1676	3417
55	गोराजन		- <sub>नहा</sub> - -वही-	राजस्व	मुस्लिम और बंगाली	466	1268	1165	2433
		.61	.61		ु हिंदु	<del></del>	.200		
56	धनिया	सदर	सोनितपुर	राजस्व	नेपाली	223	-	-	934
57	ढावोनी	-वही-	-वही-	राजस्व	नेपाली	197	-	•	860
58	शिशुवती	-वही-	-वही-	राजस्व	नेपाली	113			654

#### उपाबंध IV

#### की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि
- बैठकों के कार्यवृत्त न्दुओं का उल्लेख करें। अलग उपाबंध पर बैठकोंउल्लेखनीय बि के कार्यवृत्त संलग्न करें।
- पर्यटनमहायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति
- भूमि अभिलेख पारि संवेदी जोन वार के ऊपर सपष्ट तुटी के संशोधन हेतु निस्तारित मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में विवरण संलग्न किए जांए।
- 5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांशा उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं।
- 6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलगन किए जाएं।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2015

**S.O.** 3236(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

#### **Draft Notification**

WHEREAS, the Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries situated in Nagaon and Sonitpur districts of Assam respectively lying between 26°28′N to 26°-33′N North latitude and between 92° 35′E to 92°47′East longitude are spread over an area of 70.10 sq. kms and 44.06 sq kms respectively and are notified buffer areas of the Kaziranga Tiger Reserve hereinafter referred to as the Sanctuaries;

AND WHEREAS, the area supports a good population of birds, fishes, mammals, reptiles, butterflies and such other small animals;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto 1.86 kilometres from 26°29'54"N & 92°33'17"E to 26<sup>0</sup> 33 13 N & 92<sup>0</sup> 47 45 E on southern boundary (Sutirpar–Garajan-Laokhowa town) and upto 7.14 kilometres from 26<sup>0</sup> 33 13 N and 92<sup>0</sup> 47 45 E to 26°29'54"N and 92°33'17"E on northern boundary (Brahmaputra river) of the protected areas of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Laokhowa and Burhachapori Wildlife

Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.86 kms to 7.14 kms around the boundaries of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries in the State of Assam as Eco-sensitive Zone of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.** (1) The Eco-Sensitive Zone shall be with a peripheral area of 263.33 sq. kms with an extent varying from 1.86 kms to 7.14 kms around the boundaries of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries.
- (2) The boundary description of the Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I.**
- (3) The Global Positioning system coordinates of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries and its Ecosensitive Zone along with latitudes and longitudes are given in **Annexure-I A**.
- (4) The map of the Eco-sensitive Zone along with Global Positioning system coordinates is appended as Annexure-II.
- (5) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zone Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zone Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zone Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (ix) Assam State Pollution Control Board,
- (x) Irrigation
- (xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Zone Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zone Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zone Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zone Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 21, 30, 31 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourismactivities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities,

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs:** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone:
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool Project areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and projected and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** No discharge of untreated effluent shall be permitted. The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2000 as amended from time to time:
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

#### (12) Industrial Units

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

#### **TABLE**

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohi	bited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries including new oil and gas exploration causing	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

		1
	water or air or soil or noise pollution.	
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over- flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Fishing	No commercial fishing should be undertaken within 1000 meters of the northern boundary of Burhachapori Wildlife Sanctuary (in Brahmputra river.
10.	Plying of Mechanized boats	No commercial mechanized boats shall ply within 1000 meters from the boundary of the Protected Areas. Only registered commercial mechanized boats, with regular monitoring by the concerned authority should be allowed to operate within 1000 meter to 6000 meter from the boundary of PAs.
Regula	ated Activities:	
11.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.  However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism
10		activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan.
12.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
13.	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
14.	Use of plastic bags	Regulated under applicable laws.
15.	Air and Vehicular Pollution	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees	<ul><li>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</li><li>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</li><li>(c) in case of Project Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</li></ul>
19.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws

	electric lines	be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
23.	Sign Boards and Hoardings	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of Vehicular Traffic at night	Regulated for commercial vehicles as per the Zonal Master Plan and the applicable laws.
25.	Drastic Change of Agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<ul> <li>(a) the extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</li> <li>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</li> <li>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</li> <li>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</li> </ul>
Promo	oted Activities:	
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture.	Shall be actively promoted.
28.	Organic farming including use of Bio Fertilizer.	Shall be actively promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
31.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee:-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Assam, which shall comprise of the following namely:-

1.	Commissioner, NAD	Chairperson
2.	Director, Kaziranga Tiger Reserve	Member
3.	District Collector, Sonitpur	Member

4.	District Collector, Nagaon	Member		
5.	District Forest Officer, Sonitpur West Division	Member		
6.	Representative of Industries Department, Government of Assam	Member		
7.	Representative of Agriculture Department, Government of Assam	Member		
8.	Representative of Fishery Department, Government of Assam	Member		
9.	Representative from Regional Office, State Pollution Control Board	Member		
10.	Chairperson/Member Secretary, Laokhowa and Burhachapori Wildlife conservation Society	Member		
11.	Superintendent of Police, Sonitpur and Nagaon	Member		
12.	One representative of Non-Governmental Organization (working in the field of environment and heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of one year.	Member		
13.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a period of one year	Member		
14.	District Forest Officer, Nagaon Wildlife Division	Member-Secretary		

#### 6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at at **Annexure-IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/110/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDNI, Scientist 'G'

Annexure – I

### BOUNDARY DETAILS OF LAOKHOWA AND BURHACHAPORI WILDLIFE SANCTUARIES AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

- (i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto 1.86 kilometres from 26°29′54″N and 92°33′17″E to 26°33′13″N & 92°47′45″E on southern boundary (Sutirpar Garajan- Laokhowa town) and upto 7.14 kilometres from 26°33′13″N & 92°47′45″E to 26°29′54″N & 92°33′17″E on northern boundary (Brahmaputra river)of the protected area of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries situated in the Nagaon and Sonitpur Districts of Assam between 26°28′N to 26°-33′N North latitude and between 92° 35′E to 92°47′East longitude.
- The map of the Eco-sensitive Zone is in *ANNEXURE M* and the list of the villages falling within 1.86 kilometres from 26°29'54"N & 92°33'17"E to 26°33' 13"N & 92° 47' 45"E on southern boundary (Sutirpar Garajan-Laokhowa town) and upto 7.14 kilometres from 26° 33' 13"N and 92° 47' 45"E to 26°29'54"N and 92°33'17"E on northern boundary (Brahmaputra river)of the protected area of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Bogamukh No.7, Bogamukh No.6, Bogamukh No.5, Bogamukh No.4, Bogamukh No.3, Bogamukh No.2, Bogamukh No.1, Bhurbandha No.4, Bhurbandha No.3, Bhurbandha No.2, Bhurbandha No.1, Bhurbandha Bazar, NizLawkhowa, Laokhowa T.V., DakhinBelguri, Haribhanga, Barunguri TV, Lailuri, Pub Larimukh, Karoiguir, Pub Salpara, Salpara Singimari F.V., Pachim Salpara, Pachim Singimari, Pub Singimari, KachaKhaity, Kaladoba, Langia, Udhantola, Kandulimari, Chenimari Bill N.C., Chitalmari Bill N.C., ChitalmariPathar, Chitalmari Bill, Chenimari Bill, Jahajan, Sutirpar, Boralimari, Puraniati, Haldiasuti TV, DhingbariChapari, Dhing Bari Pathar, Lalung Gaon, Lalung Gaon TV, KaliaDinga, KaliaDinga TV, KaliaDinga Pam, KachariGaon, KasariGaon, GodaimariPathar, Maheripar, PachimPhotaljar, Pub-Photaljar, Pub-Amrakanda, PachimAmrakanda, Sunsahar TV, Nalkata TV, HathiPukhuri, Kanchanpur, NangalDhowa, Gorajan, Dhania, Jhaoni, Sishuwati, Jahajghat Chapori, Jahaj Tapu, Bilal Tapu, Piyaz Tapu, Lanke Tapu, Sandhya Tapu, Korioni Tapu, Majarbali Tapu, Khesari Tapu, Ganesh Tapu, Rafique Chapori, Kochmara Chapori.

#### ANNEXURE-I A

## BOUNDARY DETAILS OF LAOKHOWA AND BURHACHAPORI WILDLIFE SANCTUARIES IN TERMS OF GPS COORDINATES

GPS co-ordinates of points along the boundary

GPS co-ordinates of points along the boundary

of Laokhowa-Burhachapori WLS


S1. **GPS** Longitude Latitude No. E01 92° 35.564' E 26° 30.782' N 1 2 E02 92° 38.463' E 26° 32.026' N 3 E03 92° 41.005' E 26° 33.725' N 4 E04 92° 46.156' E 26° 33.433' N 5 E05 92° 44.160′ E 26° 30.504' N E06 92° 47.051' E 26° 32.298' N 6 E07 92° 47.128' E 30.405' N 8 E08 92° 45.123' E 26° 28.624' N 9 E09 92° 41.453' E 26° 28.842' N 92° 39.084' E 10 E10 26° 28.628' N E11 92° 37.945' E 26° 30.204' N 11 12 E12 92° 39.731' E 26° 31.450' N E13 92° 37.774′ E 26° 31.373' N 13

of Eco-sensitive Zone Laokhowa-Burhachapori WLS

S1.	GPS	Longitude	Latitude
No.			
1	E01	92° 31.955′ E	26° 30.336' N
2	E02	92° 35.881′ E	26° 34.539' N
3	E03	92° 42.761′ E	26° 36.644' N
4	E04	92° 49.774' E	26° 34.601' N
5	E05	92° 48.230′ E	26° 30.961' N
6	E06	92° 46.017' E	26° 27.641' N
7	E07	92° 40.646′ E	26° 27.936' N
8	E08	92° 36.934′ E	26° 28.587' N
9	E09	92° 34.248′ E	26° 29.961' N

#### **ANNEXURE-II**

## MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAOKHOWA AND BURHACHAPORI WILDLIFE SANCTUARIES WITH LATITUDES AND LONGITUDES



Annexure-III

Villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Laokhowa and Burhachapori Wildlife Sanctuaries

SI.	Name of Village	Circle	District	Village type	Dominant	Total	Total	Total	Total
					Community	House Hold	Male	Female	Population
1	Bogamukh No.7	Samaguri	Nagaon	Revenue	Muslims	320	995	945	1940
2	Bogamukh No.6	do	do	Revenue	Muslims	198	655	598	1253
3	Bogamukh No.5	do	do	Revenue	Muslims	111	370	366	736
4	Bogamukh No.4	do	do	Revenue	Muslims	159	531	498	1029
5	Bogamukh No.3	do	do	Revenue	Muslims	4	13	14	27
6	Bogamukh No.2	do	do	Revenue	Muslims	74	197	201	398
7	Bogamukh No.1	do	do	Revenue	Muslims	88	299	248	547
8	Burbandha No.1	do	do	Revenue	Muslims	353	1055	994	2049
9	Burbandha No.2	do	do	Revenue	Muslims	177	518	476	994
10	Burbandha No.3	do	do	Revenue	Muslims	256	825	717	1542
11	Burbandha No.4	do	do	Revenue	Muslims	206	729	658	1387
12	Burbandha Bazar	1				39	106	94	200

13	Niz Laokhowa	do	do	Revenue	Bengali Hindu	419	1174	1112	2286
14	Laokhowa TV	do	do	Forest	Bodo/Lalung	85	437	1112	2200
14	Laukiiowa 1 v	uo	uo	Village	Bodo/Latung	83	437	-	-
15	Dakhin Beluguri	do	do	Revenue	Muslim &	314	890	850	1740
	** "				Bengali Hindu	***			
16	Haribhanga	do	do	Revenue	Bengali Hindu	209	600	517	1117
17	Barunguri TV	do	do	Taungiya	Bodo/Lalung	42	175	-	-
				Village					
18	Pub Larimukh	do	do	Revenue	Muslims	492	1543	1381	2924
19	Koroiguri	do	do	Revenue	Muslims	588	1646	1610	3256
20	Pub Salpara	do	do	Revenue	Muslims	279	849	761	1610
21	Salpara Singimari TV	do	do	Revenue	Bodo/Lalung	185	968	-	-
22	Pachim Salpara	do	do	Revenue	Muslims	468	1300	1259	2559
23	Pachim Singimari	do	do	Revenue	Muslims	788	2198	2058	4256
24	Pub Singimari	do	do	Revenue	Muslims	628	1718	1649	3367
25	Kacha Kaity	do	do	Revenue	Muslim &	402	1182	1166	2348
					Bengali Hindu				
26	Chanimari Beel NC	Rupahi	Rupahi	Revenue	Muslims	138	636	613	1249
27	Chitalmari Beel NC	do	do	Revenue	Muslims	236	1480	784	696
28	Chitalmari Pathar	do	do	Revenue	Muslims	401	1468	1435	2903
29	Chitalmari Beel	do	do	Revenue	Muslims	268	925	835	1760
30	Chenimari Beel	do	do	Revenue	Muslims	266	928	869	1797
31	Jahajan	do	do	Revenue	Muslims	268	876	829	1705
32	Sutirpur	do	do	Revenue	Muslims	247	888	787	1675
33	Haldiasuti TV	do	do	Taungiya	Bodo/Lalung	65	438	-	-
				Village					
34	Dhing Bori Chapori	do	do	Revenue	Muslims	638	1973	1875	3847
35	Dhing Bori Pathar	do	do	Revenue	Muslims	339	980	941	1921
36	Lanung Gaon	do	do	Revenue	Muslim	662	2039	1888	3927
37	Lanung Gaon TV	do	do	Taungiya Village	Lalung	67	336	-	-
38	Kalia Dinga	do	do	Revenue	Muslim	682	2030	1895	3925
39	Kalia Dinga TV	do	do	Taungiya	Bodo/Lalung	55	272	-	-
				Village					
40	Kalia Dinga Pam	do	do	Revenue	Muslim	407	1182	1143	2325
41	Kachari Gaon	do	do	Revenue	Muslim	313	920	857	1777
42	Kachari Gaon	do	do	Revenue	Muslim	769	2227	2045	4272
43	Godaimari Pathar	do	do	Revenue	Muslim	396	1175	1082	2257
44	Maheripar	do	do	Revenue	Muslim	880	2672	2499	5171
45	Pachim Photalijar	do	do	Revenue	Muslim	442	1290	1260	2550
46	Pub Photaljar	do	do	Revenue	Muslim	868	2711	2643	5354
47	Pachim Amrakanda	do	do	Revenue	Muslim	409	1148	1070	2218
48	Pub Amrakanda	do	do	Revenue	Muslim	431	1322	1229	2551
49	Sunsahar TV	do	do	Taungiya Village	Bodo	48	326	-	-
50	Nalkata TV	do	do	Taungiya Village	Bodo	47	280	-	-
	Tolio Chomoni Toom	do	da	_	Muslim	204	022	022	1054
51	Telia Chapori Toop Hathi Pukhuri	do	do	Revenue	Muslim	304	922	932	1854
52		do	do	Revenue	Muslim	618	1806	1732	3538
53	Kanchanpur	do	do	Revenue	Muslim & Bengali Hindu	528	1320	1473	2793
54	Nangal Dhowa	do	do	Revenue	Muslim	577	1741	1676	3417
55	Gorajan	do	do	Revenue	Muslim &	466	1268	1165	2433
1 !			1		Bengali & Hindu				
56	Dhania	Sadar	Sonitpur	Revenue	Nepali	223	-	-	934
56 57	Dhania Jhaoni	Sadar do	Sonitpur do	Revenue Revenue	Nepali Nepali	223 197	-	-	934 860

#### **Annexure -IV**

#### Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

  Details may be attached as Annexure
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
  - Details may be attached as separate Annexure.
- Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
  - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.